राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या 1370, 1371, 1372, 1373 एवं 1378/2016..............................जिला..................................जयपुर.........

मैसर्स वरूण ब्रेवरीज लि., जयपुर बनाम् वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, राजस्थान द्वितीय जयपुर।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

खण्डपीठ
श्री सुनील शर्मा, सदस्य
श्री मदन लाल, सदस्य

22/06/2016

अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री अलकेश शर्मा एवं विभाग की ओर से श्री जमील जई, उप–राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

ये पांचों अपीलें अपीलीय प्राधिकारी प्रथम, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.06.2016 जो राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 25, 26, 55 एवं 61 के तहत् कायम की गयी मांग राशियों के संबंध में पारित किया गया है, के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। अपीलों में अपीलीय अधिकारी द्वारा निम्नांकित तालिकानुसार विवादित मांग राशियों की वसूली पर रोक लगाने के प्रार्थना पत्रों को आंशिक स्वीकार किया, जिसके विरूद्ध यह पांचों अपीलें धारा 38(4) सपठित धारा 83 के तहत कर बोर्ड में प्रस्तुत की गई है। पांचों अपीलों में पक्षकार एवं विवाद बिन्दु समान होने से इनका निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है, निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली में पृथक–पृथक रखी जा रही है।

अपील सं.	अवधि	अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष चाही गयी स्थगन राशि	अपीलीय प्राधिकारी द्वारा स्थगित राशि	राशि जिस हेतु स्थगन चाहा गया
1	2	3	4	5
1370/16	10–11	10,44,84,224	5,77,77,164	4,95,95,918
1371/16	11–12	12,10,67,337	6,94,35,270	5,51,03,832
1372/16	12–13	12,64,55,993	7,53,25,228	5,48,97,026
1373/16	13–14	12,02,23,297	7,65,75,348	4,74,76,716
1378/16	14–15	9,34,74,365	5,59,72,672	4,03,00,324

अपीलार्थी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेशों के विरूद्ध प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.06.2016 से आंशिक स्वीकार करते हुए आदेश पारित किया है। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेशों से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह पांचों अपीलें मय स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये गये हैं।

विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने तर्क दिया कि पारित अपीलीय आदेश विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है, क्योंकि अपीलीय अधिकारी ने रोक प्रार्थना पत्र को आंशिक स्वीकार करने के संबंध में कोई कारण अंकित नहीं किया है। अपीलार्थी कम्पनी द्वारा मैंगो प्लस से तैयार फ्रूट ड्रिंक "स्लाईस" का विनिर्माण कर विक्रय किया जाता है। इस ड्रिंक पर वैट शिड्यूल चतुर्थ की प्रविष्टि संख्या 107 के अंतर्गत कर देयता 5 प्रतिशत देय है। कर निर्धारण अधिकारी ने उक्त ड्रिंक (पेय पदार्थ) को दिनांक 14.07.2014 से अधिसूचित वैट शिड्यल की प्रविष्टि 16(6) में अंकित फ्रूट पल्प ड्रिंक की श्रेणी में निर्धारित करते हुये 14 प्रतिशत की दर से कर देयता मानी है।

निरन्तर 2

उन्होनें अपनी कम्पनी द्वारा निर्मित फ्रूट पल्प ड्रिंक को 5 प्रतिशत की कर देयता पर निर्धारित करने का निवेदन करते हुये एक माह के लिये उपरोक्त तालिका के कॉलम संख्या 5 में वर्णित राशि को स्थगित करने का निवेदन किया है। अतः मांग राशि के संबंध में उपर्युक्त वर्णित आधार पर, प्रकरण एवम् सुविधा संतुलन अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में होने के कारण, विवादित मांग राशियों की वसूली पर रोक लगाने की प्रार्थना की गयी ।

विभागीय प्रतिनिधि ने अपीलीय आदेशों दिनांक 13.06.2016 का समर्थन कर, सुविधा संतुलन विभाग के पक्ष में होना प्रकट किया तथा वसूली की रोक पर प्रस्तुत पांचों अपीलें मय स्थगन प्रार्थना पत्रों को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया, अपीलीय अधिकारी के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरणों में मैंगो पल्प से तैयार पेय पदार्थ "स्लाईस" फ्रूट ड्रिंक से भिन्न है अथवा नहीं तथा इस पर कर दर क्या है, उक्त तथ्य विवादित है। प्रथम दृष्टया सुविधा सन्तुलन अपीलार्थी कम्पनी के पक्ष में प्रतीत होता है अतः अपीलार्थी के विरूद्ध कायम विवादित मांग राशियों की वसूली कार्यवाही पर अपीलार्थी द्वारा निर्धारण अधिकारी के संतोष के अनुरूप जमानत 15 दिवस में प्रस्तुत करने की शर्त पर रोक लगाई जाती है। शर्त का उल्लंघन करने पर उक्त आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जावेगा। अपीलीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे इन पांचों प्रकरणों में नियमित सुनवाई करते हुये इन आदेशों की प्राप्ति के एक माह के भीतर अपीलों का गुणावगुण के आधार पर विधिक निष्पादन करना सुनिश्चित करें।

पांचों स्थगन अपीलों का निस्तारण उपर्युक्तानुसार किया जाता है।

आदेश प्रसारित किया गया।

22.6.2016

सदस्य	सदस्य
राजस्थान कर बोर्ड	राजस्थान कर बोर्ड
अजमेर	अजमेर